



वाणिज्य-जोधपुर डिस्कॉम/351

**जोधपुर विद्युत
वितरण निगम
लिमिटेड**

क्रमांक : जो.वि.वि.नि.लि./अ.प्र.नि./मु.अ.(सीपीएम)/अ.अ.(आर.ए.वा.)फा

/प्रे. 1782

दि. 9/11/06

आदेश

विषय: काटे हुए कृषि श्रेणी के विद्युत कनेक्शनों को पुनः जोड़ने बाबत।

कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं को राहत देने एवं निगम की बकाया राशि की वसूली हेतु समन्वय समिति की 97वीं बैठक, जो कि 28 सितम्बर 2006 को हुई थी, में इस विषय पर विचार विमर्श किया गया। इस बैठक में कटे हुए कृषि कनेक्शनों से निगम की बकाया राशि किश्तों में स्वीकार करके पुनः कनेक्शन जोड़ने हेतु निम्नलिखित निर्णय लिये गये:-

1. प्रथम किश्त के रूप में यथा सम्भव कुल बकाया राशि की 50 प्रतिशत राशि जमा कराने के पश्चात्, विद्युत कनेक्शन तुरन्त जोड़ दिये जावें।
2. शेष 50 प्रतिशत राशि हेतु, दो बराबर मासिक किश्तें स्वीकृत कर दी जायें।

उपरोक्त आदेश की पालना तुरन्त की जावे।

आज्ञा से

(ए.एम. लोटा)

मुख्य अभियन्ता (सी.पी.एम.)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- ऊर्जा सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- आयुक्त, जोधपुर/बीकानेर।
- संभागीय मुख्य अभियन्ता (जोधपुर/बीकानेर जोन), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/बीकानेर।
- जिला कलेक्टर,
जोधपुर/पाली/बाड़मेर/जालोर/चूरू/श्रीगंगानगर/हनुमानगढ़/बीकानेर/सिरोही/जैसलमेर।
- वित्तीय सलाहकार एवं लेखा नियन्त्रक, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
- उप मुख्य अभियन्ता (एम.एम.एण्ड सी.), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।